<u>न्यायालयः–दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,</u> <u>तहसील बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.</u>

<u>आप.प्र.क—1001 / 11</u> संस्थित दिनांक—31.12.2011 फाई.क.234503000232011

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड, जिला बालाघाट म०प्र०।

.....अभियोजन

<u>विरूद्ध</u>

खुमेन्द्र पटले पिता धनीराम पटले, उम्र—32 वर्ष, जाति पंवार, निवासी—ग्राम परसवाड़ा, थाना ग्रामीण नवेगांव, जिला बालाघाट म.प्र.अभियुक्त

दिनांक- 31.01.2018 को घोषित::-

- 1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—304ए का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक—20.12.2011 को 14:40 बजे, सुरेश रहांगडाले के मशीन के पास बाकीगुड़ा रोड़, पल्हेरा, थानांतर्गत मलाजखण्ड में लोकमार्ग पर अपने ट्रेक्टर महिन्द्रा डी.आई. क्रमांक—एम.एच. 31 सी.पी. 309 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर विष्णु पंचेश्वर को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित किया जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती।
- 2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी कृष्ण कुमार पारधी ने पुलिस थाना मलाजखण्ड में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि वह शा.उ. मा. शाला पल्हेरा में प्राचार्य के पद पर पदस्थ है। दिनांक—20.12.2011 को कक्षा 9 से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा थी। 2:00 बजे पेपर छूटने के बाद सभी बच्चे अपने घर जा रहे थे, तभी करीब 2:40 बजे, बाकीगुड़ा रोड़ पर एक ट्रेक्टर चालक, ट्रेक्टर को तेज गति से लहराते हुए चलाते पल्हेरा की ओर आ रहा था, जिसने एक स्कूली छात्र को टक्कर मार दी थी, जिसे देखकर फरियादी दौड़ा था और अन्य लोग भी दौड़े थे। ट्रेक्टर चालक ट्रेक्टर छोड़कर

भाग गया था। फरियादी एवं शिक्षक दशवन्त पन्द्रे ने देखा था तो छात्र विष्णु पंचेश्वर था, जो कक्षा 11वीं का छात्र था, जिसकी ट्रेक्टर चालक द्वारा टक्कर मारने से सुरेश रहांगडाले की मशीन के पास मृत्यु हो गई थी। छात्र की साईकिल एवं ट्रेक्टर घटनास्थल पर ही पड़े थे। ट्रेक्टर महिन्द्रा कंपनी का डी. आई—275 सरपंच लाल रंग का था, जिसके पीछे ट्रॉली लगी थी, जिसमें सीमेंट की बोरियां भरी हुई थी। ट्रॉली के पीछे नंबर—एम.एच—3516—1008, एम.एच—35 जी.एच. लिखा था। घटनास्थल पर उपस्थित लोगों ने बताया था कि ट्रेक्टर पोगलिया कंपनी वाले का है, तब फरियादी, गोविन्दराम के साथ थाने में रिपोर्ट करने गया था। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना मलाजखण्ड ने अपराध कमांक—98 / 2011 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

- 3— अभियुक्त को तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा—1 में उल्लेखित धारा का अपराध विवरण बनाकर अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया था, तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।
- 4— अभियुक्त का धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

5— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक—20.12.2011 को 14:40 बजे, सुरेश रहांगडाले के मशीन के पास बाकीगुड़ा रोड़, पल्हेरा, थानांतर्गत मलाजखण्ड में लोकमार्ग पर अपने ट्रेक्टर महिन्द्रा डी.आई. क्रमांक—एम.एच. 31 सी.पी. 309 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर विष्णु पंचेश्वर को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित किया जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

6— कृष्ण कुमार पारधी अ.सा.1 का कथन है कि वह अभियुक्त को एवं मृतक विष्णु पंचेश्वर को जानता है। मृतक साक्षी के विद्यालय में कक्षा 11वीं में पढ़ता था। घटना के समय स्कूल में पेपर चल रहे थे। साक्षी स्कूल में था। 2:30 बजे पेपर खत्म हुआ था, तब किसी बालक ने आकर खबर दी थी कि ट्रेक्टर से किसी बच्चे का एक्सीडेन्ट हो गया है, तब साक्षी एवं स्टाफ के अन्य शिक्षक घटनास्थल पर पहुंचे थे। ट्रेक्टर बाजू में खड़ा था, बच्चा साईड में गिरा हुआ था। घटनास्थल पर ट्रेक्टर चालक नहीं था। घटना के बाद साक्षी ने थाना मलाजखण्ड में प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट कराई थी। साक्षी की निशानदेही पर पुलिस ने घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी—2 बनाया था एवं घटनास्थल से पुलिस ने प्रदर्श पी-3 के जप्तीपंचनामा द्वारा ट्रेक्टर जप्त किया था। मृत्यु जांच पंचनामा प्रदर्श पी–4 एवं नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी–5 पर साक्षी ने कमशः ए से ए भाग पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है। पुलिस ने साक्षी के कथन लिये थे। पुलिस ने साक्षी को बयान पढ़कर नहीं बताए थे। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि घटना के समय रोड में ट्रेक्टर खंड़ा था एवं ट्रेक्टर चालक ने तेज गति एवं लापरवाही से एक्सीडेन्ट कर दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने ट्रेक्टर चालक को एवं घटना होते हुए नहीं देखी थी। साक्षी ने ट्रेक्टर का नंबर भी किसी को नहीं बताया था। पुलिस ने अपने मन से प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। साक्षी ने पुलिस के कहने पर रिपोर्ट पर केवल हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने पुलिस को बयान नहीं देना बताया है।

7— दशवंतसिंह अ.सा.६ का कहना है कि वह दिनांक—25.12.11 को शा.उ. मा. शाला पल्हेरा में शिक्षक के पद पर पदस्थ था। साक्षी का पढ़ाने का समय 10:00 से 4:00 बजे तक का था। दिसम्बर माह में अर्धवार्षिक परीक्षा का समय 11:00 से 2:00 बजे तक था। परीक्षा होने के बाद बच्चे स्कूल से बाहर निकले थे, उस समय साक्षी स्कूल में था। बच्चे साक्षी के पास आए थे, उन्होंने साक्षी को बताया था कि स्कूल के बाहर रोड पर राईट साईड पर विष्णु का कटंगी रोड पर एक्सीडेन्ट हो गया है, तब साक्षी एवं स्टाफ के सभी व्यक्ति घटनास्थल पर गए थे, तब साक्षी ने देखा था कि कक्षा 11वीं का छात्र विष्णु घटनास्थल पर अधमरी अवस्था में पड़ा था। उसके सिर के पीछे का भाग निकल चुका था। साक्षी ने विष्णु को आवाज लगाई थी, तब उसने कोई आवाज नहीं दी थी। ट्रेक्टर घटनास्थल पर खड़ा था। ट्रेक्टर का नंबर साक्षी को पता नहीं है। ट्रेक्टर का चालक घटनास्थल से भाग गया था। ट्रेक्टर में ट्रॉली थी एवं ट्रॉली से विष्णु टकराया था। ट्रॉली में सीमेन्ट भरी हुई थी। ट्रॉली में खून के निशान थे। विष्णु साईकिल से था, उसकी साईकिल घटनास्थल पर

टूटी पड़ी थी। साक्षी के पहुंचने के आधे घंटे के बाद विष्णु के परिवार के सदस्य आए थे, उसे गाड़ी से अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन विष्णु की रास्ते में मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने साक्षी के घटना दिनांक को बयान लिये थे एवं पंचनामा (मृत्यु जांच) में उपस्थित होने का नोटिस प्रदर्श पी–4 दिया था तथा पुलिस ने दुर्घटना के संबंध में प्रदर्श पी-5 का पंचनामा बनाया था। दोनों दस्तावेजों पर साक्षी ने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। पुलिस ने घटनास्थल से विष्णु की साईकिल एवं लाल रंग का ट्रेक्टर मय ट्रॉली के जिसमें सीमेन्ट की बोरी भरी थी, प्रदर्श पी-3 के जप्तीपंचनामा द्वारा जप्त किये थे। जप्तीपंचनामा पर साक्षी के हस्ताक्षर कराए थे। प्रतिपरीक्षण की कंडिका-6 में साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-4 के मृत्यु जांच पंचनामा में पुलिस ने साक्षी के हस्ताक्षर क्यों कराए थे, साक्षी को पता नहीं है एवं प्रदर्श पी-4 के मृत्यु जांच पंचनामा एवं प्रदर्श पी—5 के नक्शा पंचायतनामा में क्या लिखा है, इसका भी साक्षी को पता नहीं है। पुलिस ने साक्षी के बयान में क्या लिखा था, साक्षी को पता नहीं है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका–7 में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था, इसलिए साक्षी को पता नहीं है कि घटना कैसे घटी थी।

8— अर्जुन पन्द्रे अ.सा.७ का कहना है कि वह वर्ष 2011—12 में कक्षा 11वीं में अध्ययन करता था। पेपर देने के पश्चात् मृतक विष्णु एवं प्रीति साईकिल से छुट्टी होने के बाद घर जाने के लिए निकले थे, तब 2—3 बजे का समय हुआ होगा, सब अपनी—अपनी साईकिल से जा रहे थे। स्कूल से बाहर निकलने के बाद 100 मीटर की दूरी पर बाकीगुड़ा साईड से एक ट्रेक्टर आ रहा था, उसने विष्णु को टक्कर मार दी थी। ट्रेक्टर में हरे रंग की ट्रॉली लगी थी। विष्णु की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी। ट्रेक्टर का चालक विष्णु को टक्कर मारकर फरार हो गया था। ट्रेक्टर वहीं पर खड़ा था। पुलिस घटनास्थल पर आई थी, साक्षी से पूछताछ की थी। विष्णु घटनास्थल पर पड़ा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि पुलिस को उसने कोई बयान नहीं दिये थे। पुलिस ने शीघ्रता के कारण साक्षी से हस्ताक्षर करा लिये थे। साक्षी ने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे। पुलिस कथन में क्या लिखा था, साक्षी को पता नहीं है।

9— प्रीति अ.सा.8 का कहना है कि घटना के समय वह कक्षा 11वीं में पढ़ता था। दिसम्बर के माह में पेपर चल रहे थे। मृतक विष्णु साक्षी का भाई था। उसके भी पेपर चल रहे थे। पेपर देकर घर के लिए निकले थे, तब 3:00 बजे, स्कूल के पास रोड पर साक्षी, विष्णु के साथ साईकिल से जा रही थी। ट्रेक्टर विपरीत दिशा से सामने की तरफ से आ रहा था। साईकिल को ट्रेक्टर ने जोर से टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने से विष्णु ट्रेक्टर की साईड में गिर गया था। ट्रेक्टर उसके उपर से निकल गया था। साक्षी दूसरी तरफ गिर गई थी। ट्रेक्टर चालक ट्रेक्टर को खड़े कर भाग गया था। विष्णु के मुंह, नाक से खून आ रहा था। विष्णु की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। साक्षी घबरा गई थी। साक्षी को कोई घर लेकर गया था। पुलिस ने साक्षी के बयान लिये थे। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि घटना दिनांक—20.12.11 की हो तो उसे पता नहीं है। साक्षी ने प्रदर्श पी-11 के पुलिस कथन का ए से ए भाग पुलिस को देने से इंकार किया है। साक्षी ने यह बताया है कि प्रदर्श पी-11 का पुलिस कथन सही लिखा है, किन्तु साक्षी ने ऐसा बयान देने से इंकार किया है। स्वतः कथन में साक्षी ने बताया है कि उसे घटना की जानकारी है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह गिर गई थी एवं बेहोश हो गई थी, इसलिए उसे घटना के बारे में जानकारी नहीं है। पुलिस कथन प्रदर्श पी–11 में क्या लिखा है, उसकी भी साक्षी को जानकारी नहीं है। पुलिस ने साक्षी के कथन नहीं लिये थे।

10— उमाशंकर अ.सा.3 का कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन कथनों से तीन वर्ष पूर्व की शाम के लगभग 3—4 बजे स्कूल की छुट्टी होने के समय की है। घटना दिनांक को वह पल्हेरा गांव के चौक में खड़ा था। आवाज आने पर साक्षी घटनास्थल पर गया था, वहां पर एक बच्चे का शव रखा हुआ था। ट्रेक्टर साईड में खड़ा था, ट्रेक्टर से बच्चे की दुर्घटना होना कह रहे थे। साक्षी ने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी थी एवं ट्रेक्टर चालक को भी नहीं देखा था। अभियोजन पक्ष ने साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे घटनास्थल पर एक्सीडेन्ट से मृत्यु होने वाले का नाम विष्णु पंचेश्वर होना घटनास्थल पर पता चला था। इसके अतिरिक्त साक्षी को घटना के बारे में जानकारी नहीं हैं।

11— बस्तीराम अ.सा.2 का कहना है कि वह अभियुक्त एवं मृतक को जानता है। साक्षी घटना के बाद घटनास्थल पर गया था। पुलिस ने विष्णु की मृत्यु के संबंध में मृत्यु जांच पंचनामा प्रदर्श पी—4 और नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी—5 तैयार किया था, जिन पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने साक्षी के कथन नहीं लिये थे। साक्षी ने सुझाव में यह अस्वीकार किया कि दिनांक—20.12.11 को

अभियुक्त ने लोकमार्ग पर ट्रेक्टर को तेज एवं लापरवाही से चलाकर विष्णु की मृत्यु कारित की थी। साक्षी ने प्रदर्श पी-6 का पुलिस कथन का ए से ए भाग पुलिस को देने से इंकार किया है।

12— सुनील सिंह अ.सा.4 का कहना है कि वह दिनांक—20.12.11 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दमोह में चिकित्सक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को थाना मलाजखण्ड से आरक्षक क. 178 पन्ना मरठे मृतक विष्णु का शव परीक्षण के लिए साक्षी के समक्ष लेकर आया था। शव का परीक्षण करने पर मृतक के शरीर पर निम्न चोटें पाई थी:—चोट क—1, 2 इंच गुणा 1.5 इंच बांये पैर की टांग में कटा हुआ था, जिसमें रक्त का स्नाव हो रहा था तथा रक्त वाहिका रेप्चर्ड थी। चोट क-2 सीने के दाहिने तरफ की पसलियां फ्रेक्चर थी, जिसके कारण वाईटल आर्गन्स हार्ट लंग्स, लीवर, किडनी फटी हुई थी, जिससे रक्त वाहिकाएं फ्रेक्चर्ड थी। चोट क-3 हायर्ड बोन फ्रेक्चर्ड थी एवं जबड़ा भी फ्रेक्चर्ड था। जिसके कारण नीचे के जबड़े में दांत टूटे हुए थे, जिससे रक्तस्राव हो रहा था। चोट क्र—4 सिर फटा हुआ था, जिसके कारण टेम्पोरल बोन, बाहरी(इंटीरियर क्रेनियल फोसा) एवं मिडिल क्रेनियल फोसा एवं पोस्टेरियर केनियल फोसा फैक्चर्ड था, जिसमें 3 गुणा 2.5 इंच की गहरी चोट दिखाई दे रही थी। सभी चोटें गंभीर प्रकृति की थी। आंतरिक परीक्षण में मृतक के सीने के दांए तरफ चोट थी, जिसकी पसलियां फ्रेक्चर्ड थी। शरीर के अंदर मौजूद वाईटल पार्टस फ्रेक्चर्ड थे। हार्ट लंग्स, लीवर, किडनी फरी हुई थी। खोपड़ी, कपाल, कशेरूका, सिल्ली, मस्तिष्क पेल थे। पर्दा, प्रसली, कोमलस्य, रेपचर्ड थे। फुफुस, कंठ व श्वासनली, दाहिना एवं बांया फेफड़ा, पेरियॉन, हृदय, वृहद वाहिका पेल एवं रेप्चर्ड, पर्दा, आंतो की झिल्ली, मुंह तथा ग्रासनली पेल थे। साक्षी ने मृतक के शव का परीक्षण घटना के 3 से 5 घंटे के अंदर किया था। चिकित्सक ने उनके अभिमत में मृतक की मृत्यु सिनकोपिसॉक, क्रस वाईटल पार्टस, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी एवं सीने के दाहिने तरफ आई हुई पसलियों में चोट के कारण एवं अत्यधिक रक्तस्राव होने से तथा सिर में लगी गंभीर चोटों के कारण हेड इंज्यूरी से होना बताया है। चिकित्सक की शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–7 है, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि चोट क्र–1 किसी कड़ी एवं बोथरी सतह पर गिरने से आई थी एवं चोट क-2 एवं 3 किसी कड़ी वस्तु के प्रहार से आ सकती थी। मृतक की मृत्यु सिर की चोट एवं अधिक रक्तस्राव होने के कारण हुई थी।

13— ज्ञानेश्वर इड़पाचे प्रधान आरक्षक अ.सा.10 का कहना है कि दिनांक—20. 12.2011 को फरियादी कृष्ण कुमार पारधी ने थाना मलाजखण्ड आकर घटना के संबंध में मौखिक रिपोर्ट की थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से साक्षी ने ट्रेक्टर ट्रॉली क. एम.एच—3516—1008 एम.एच—35 जी.एच. के चालक के विरूद्ध अपराध क.98/11 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 लेखबद्ध की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि कृष्ण कुमार पारधी ने उसके समक्ष कोई रिपोर्ट नहीं की थी।

14— रामिकशोर प्रधान आरक्षक अ.सा.९ का कहना है कि उन्हें दिनांक—20. 12.2011 को थाने से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम पल्हेरा स्कूल के पास सड़क पर एक्सीडेन्ट हो गया है। तब उक्त सूचना के आधार पर साक्षी ने मर्ग क. 45 / 11 दर्ज किया था एवं मर्ग जांच के लिए घटनास्थल रवाना हुआ था। साक्षी के साथ प्रधान आरक्षक जयनेन्द्र एवं आरक्षक पन्नालाल भी गये थे। साक्षी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मर्ग जांच प्रारंभ की थी एवं साक्षीगण कृष्णकुमार, दशवंत, सालिकराम, बस्तीराम, उमाशंकर को मृत्यु जांचपंचनामा में उपस्थित होने के लिए प्रदर्श पी-4 का नोटिस जारी किया था। साक्षी द्वारा घटनास्थल ग्राम पल्हेरा से बाकीगुड़ा मेन रोड मशीन के पास के निरीक्षण के उपरांत मृतक का शव साईकिल, ट्रेक्टर घटनास्थल पर पड़े पाए थे, जिसके फोटोग्राफ लिये थे एवं मृतक के शव का निरीक्षण कर नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-5 बनाया था। शव परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय बालाघाट को साक्षी ने आरक्षक पन्नालाल के माध्यम से प्रदर्श पी-12 का आवेदन दिया था। साक्षी ने कृष्ण कुमार के बताए अनुसार घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-2 तैयार किया था एवं घटनास्थल से एक साईकिल टूटीफूटी हरे रंग की एवं लाल रंग का ट्रेक्टर जप्त कर प्रदर्श पी—3 का जप्तीपंचनामा बनाया था एवं साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये थे। प्रतिपरीक्षण की कंडिका-5 में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा लिखापढ़ी नहीं की गई थी। साक्षी ने प्रदर्श पी-3 का जप्तीपंचनामा, प्रदर्श पी-2 का नक्शामौका, प्रदर्श पी-5 का नक्शापंचायतनामा आरक्षक जयेन्द्र उपराड़े द्वारा बनाया जाना बताया है। उक्त दस्तावेजों पर केवल स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है एवं साक्षी बस्तीराम, उमाशंकर, कृष्णकुमार, अर्जुन, दशवंत के कथन नहीं लेना बताया है। साक्षी ने केवल उक्त साक्षी के कथनों पर केवल हस्ताक्षर करना बताया है। ऐसी स्थिति में अनुसंधान अधिकारी का अनुसंधान संदिग्ध दर्शित होता है।

15— कृष्ण कुमार पारधी अ.सा.1, अर्जुन पुन्द्रे अ.सा.7, प्रिति अ.सा.8 प्रकरण की घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं। कृष्ण कुमार पारधी अ.सा.1 की प्रतिपरीक्षण की साक्ष्य के अनुसार उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी। अर्जुन पन्द्रे अ.सा.7 ने उसकी साक्ष्य में यह बताया है कि एक्सीडेन्ट कैसे हुआ, उसे पता नहीं है। प्रिति अ.सा.८ की साक्ष्य के अनुसार वह घटना के समय गिर गई थी एवं बेहोश हो गई थी, इसलिए उसने घटना के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की है। अर्जुन पन्द्रे अ.सा.७ एवं प्रिति अ.सा.८ ने उनकी साक्ष्य में घटना के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। दशवंत्रसिंह अ.सा.६, उमाशंकर अ.सा.३ घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, उन्होंने घटना होते हुए नहीं देखी थी। बस्तीराम अ.सा.२ ने उसकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण के किसी भी प्रत्य क्षदर्शी साक्षी एवं घटना के स्वतंत्र साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में घटना कारित करने वाले वाहन की गति एवं घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर नहीं बताया हैं एवं घटना के संबंध में अभियुक्त की पहचान सुनिश्चत कर यह नहीं बताया है कि प्रकरण की घटना अभियुक्त ने कारित की थी। अभियोजन पक्ष के साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण की घटना प्रमाणित नहीं मानी जाती है। प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रकरण की घटना प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को भा.द.वि. की धारा–304ए के अपरोध में दोषमुक्त किया जाता है।

- 16— अभियुक्त का धारा—428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 17— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 18— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन ट्रेक्टर क. एम.एच—31 सी.पी. 309 एवं ट्रॉली क. एम.एच. 31 सी.पी. 340 मय दस्तावेजों के आवेदक की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् आवेदक के पक्ष में समाप्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट (दिलीप सिंह)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट